पत्रांक–योजना बजट–06/2014 /प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–........./11/2015

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि०, आसाम से बाँस का प्रमाणित टिशू कल्चर पौधा प्राप्त करने हेतु पथ तट फॉर्म योजनान्तर्गत कुल योजना राशि ₹ 3.82 लाख (तीन लाख बेरासी हजार ₹ मात्र) की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2015–16 में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि०, आसाम से बाँस का प्रमाणित टिशू कल्चर पौधा प्राप्त करने हेतु (परिशिष्ट–1 के अनुरूप) पथ तट फॉर्म योजनान्तर्गत कुल योजना राशि ₹ 3.82 लाख (तीन लाख बेरासी हजार ₹ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृत राशि से आपूर्ति किये गये पौधा का उपयोग वन प्रमंडल पूर्णियाँ प्रक्षेत्र में बसंत काल में नहर तट पर किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा अररिया वन प्रमंडल के कुसियार गाँव में स्थापित होने वाले बैम्बू सेटर्म में किया जायेगा तथा इस राशि के तहत पौधों का क्रय रूपये 20/– प्रति पौधा की दर से कुल 15000 पौधा आपूर्ति किया जायेगा, जिसमें लोडिंग–अनलोडिंग एवं कटिहार तक लाने में परिवहन व्यय तथा पौधारोपण अवधि कुल 04 महिने तक के रख–रखाव का व्यय सम्मिलित है।

2. इस राशि की निकासी राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–01 05–पथ तट फार्म, विपत्र कोड–P2406018000105 के विषय शीर्ष–02

01–मजदूरी, 27 01–लघु कार्य तथा मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–01 03–पथ तट फार्म, विपत्र कोड–P2406017890103 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ होंगे तथा राशि की निकासी उनके सम्बद्ध कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

4. प्रस्ताव में संचिका के पृ०–25/टि० पर दिनांक–06.11.2015 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति एवं प्रारूप में संचिका के पृ०–27/टि० पर दिनांक–26.11.2015 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस योजना के कार्यान्वयन होने समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्राक्कलित दर के अनुरूप ही पौधों का क्रय एवं रख–रखाव का कार्य किया जाय तथा मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दर पर ही हो।

6. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

7. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) बिहार, पटना द्वारा तैयार किया गया कार्य योजना (संलग्न परिशिष्ट–1) में दर्शाया गया प्राक्कलन के अनुरूप ही इन योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता हाती है तो इसके लिए इस योजना के निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन में संलग्न सभी पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होकर इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम

की अगली किस्त निर्गत की जायेगी। योजना क्रियान्वयन संबंधी अभिलेख संबंधित कार्यालय में संधारित किया जायेगा तथा इसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

10. योजना क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–06/2014 3635/प०व० पटना–15, दिनांक–30/11/2015

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी०(मैनेजर), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/11/15
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट -1

बैम्बू [illegible] पौधे का सारांश

प्रमंडल का नाम	कार्य	दर. (प्रति पौधा)	कुल पौधों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
पूर्णियाँ	टिशु कल्चर पौधा	20	15000	300000
	लोडिंग एवं परिवहन			35000
	अनलोडिंग	0.5	15000	7500
	4 महिने के लिए रखरखाव			40000
	कुल राशि			**382500**

कुल 382500 मात्र की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

[signature] 31/09/15

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ

[signature] 6/11/15
रत्नेश झा
उपसचिव